



Neutral Citation No. - 2026:AHC:5885

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 366 / 2026

राहुल राजपूतआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राम किशोर गुप्ता, शिव शंकर गुप्ता

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : शा.अधि.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री शिव शंकर गुप्ता, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक के लिए, श्री केशरी नंदन सिंह, विद्वान अधिवक्ता, सूचनाकर्ता के लिए और श्री जे.के. चौरसिया, विद्वान राज्य विधि अधिकारी को सुना गया और अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक विचाराधीन विचारण लंबित रहने की अवधि में मुकदमा अपराध संख्या 90 / 2025, धारा 103(1) बी.एन.एस. 2023 के अधीन, थाना जलालपुर, जिला हमीरपुर में जमानत चाहता है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक बिल्कुल निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग पांच घंटे विलंबित है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि यह अचानक उत्तेजना का मामला है, क्योंकि मृतक शराब की दुकान के पास एक नाश्ते की दुकान से कुछ नाश्ता और गिलास खरीदने गया था और आवेदक उक्त नाश्ते की दुकान पर बैठा बताया जाता है। अचानक उत्तेजना के मामले को हत्या की कोर्ट में आने वाले सदोष मानव वध में बदल दिया गया है। मामला बी.एन.एस. की धारा 100 से आगे नहीं जाता, क्योंकि मृतक को लगी सभी चोटें केवल पेट पर हैं।
6. यह भी तर्क दिया गया है कि आरोप पत्र में 28 साक्षी उद्धृत किए गए हैं और आज तक एक भी साक्षी की परीक्षा नहीं की गई है, इसलिए निकट भविष्य में मुकदमे के समापन

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की कोई संभावना नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 8.7.2025 से जेल में बंद है और मुकदमे में सहयोग करने के लिए तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

7. विद्वान राज्य विधि अधिकारी और सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर जमानत आवेदन का बलपूर्वक विरोध किया है कि आवेदक ने मृतक के संपूर्ण अंत को डंडे और मुक्के से आहत कर दिया और मृत्यु का कारण उसे लगाई गई चोटें थीं जो आवेदक द्वारा लगाई गई थीं।
8. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए तर्कों, अभिलेख पर साक्ष्य, प्रथम सूचना रिपोर्ट में विलंब को ध्यान में रखते हुए और यह प्रतीत होता है कि यह अचानक उत्तेजना का मामला है, क्योंकि आवेदक द्वारा कोई पूर्वचिंतित प्रयास नहीं किया गया, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्ट्या न्यायालय का यह मत है कि आवेदक ने जमानत के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. आवेदक **राहुल राजपूत**, जो उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए व्यक्तिगत बंध-पत्र और समान राशि में दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन के साक्षियों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

9 जनवरी, 2026

शालिनी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।